



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 727 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, सितम्बर, 22 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौंस वन प्रभाग, पुरोला ।

विषय: जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के कुनारा पास नहर निर्माण हेतु वांछित 0.69 है० वन भूमि का वन संरक्षक अधिनियम 1980 के तहत हस्तांतरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- FP/UK/ IRRIG/ 7292 / 2014

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध उत्तराखण्ड शासन स्तर से की गई क्वैरी जो कि इस कार्यालय को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से दिनांक 20-09-2016 को ऑन लाइन प्राप्त हुयी है, संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः आप संलग्न क्वैरी के अनुसार निराकरण कर बिन्दुवार निराकरण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड
देहरादून

भवदीय,

(जन्मेजय सिंह)
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 08 सितम्बर, 2016

विषय:-जनपद-उत्तरकाशी के अंतर्गत कुनारा-पासा नहर के निर्माण हेतु 0.69 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-277/1जी-FP/UK/IRRIG/7292/2014, दिनांक 23.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें-

1. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी/निरीक्षण रिपोर्ट, अन्य डाक्यूमेंट आदि उपलब्ध कराये।
2. प्रस्ताव संबंधित समस्त ऑन-लाईन प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों एव एफ0आर0ए0 की प्रति।
3. चिन्हित परियोजना से आच्छादित हो रहे भूमिधरों के साथ निर्धारित प्रारूप पर संपादित अनुबंध पत्र अपलोड/उपलब्ध नहीं कराया गया है।
4. क्या भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रकरण में सक्षम अधिकारी/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की आख्या अपेक्षित नहीं है? स्थिति स्पष्ट करें।
5. प्रयोक्ता विभाग से परियोजना से लाभान्वित होने वाली आवादी की सूचना, तथा प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय वस्तुस्थिति विवरण।
6. उक्त परियोजना से पूर्व पेयजल हेतु क्या व्यवस्था थी। विवरण उपलब्ध कराए।
7. क्या प्रयोजन हेतु अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र।
8. परियोजना अंतर्गत मलवा निस्कारण योजना की स्थिति।

भवदीय,




(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।

संख्या: 887 (1) / X-4-16 / 1(278) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,



(अखिलेश मिश्रा)

अनु सचिव।